**संख्या-146 /2025/I/1111217/2025/71-1001(099)/3/2021**

प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2025**

**विषय-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/555, दिनांक 07.03.2025, पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/114/45, दिनांक 16.05.2025 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/222, दिनांक 13.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0 3177.93 लाख का मूल्यांकन/परीक्षण कराते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

**2-** उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रु0 2269.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। कालांतर में शासनादेश संख्या-141/2025/I/1107087/2025/71-1001(099)/3/2021, दिनांक 08.10.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 3114.30 लाख (रू0 इकतीस करोड़ चौदह लाख तीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रश्नगत कार्य हेतु 05 शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रु0 2269.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्र0 | शासनादेश संख्या व दिनॉक | निर्गत धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 | 518.99 |
| 2 | संख्या-126/2022/I/243242/2022-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 02.12.2022 | 300.00 |
| 3 | संख्या-96/2022/I/340999/2023-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 29.06.2023 | 315.915 |
| 4 | संख्या-159/2023/I/454587/2023-71-1001(099)/3/2021, दिनांक 22.12.2023 | 217.24 |
| 5 | संख्या-93/2024/I/671888/2024-71-1001(099)/3/2021, दिनांक 21.06.2024 | 917.665 |
| **योग-** | | **2269.81** |

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 3114.30 लाख के सापेक्ष 05 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट में से परियोजना हेतु **रु0 688.775 लाख (रू0 छः करोड़ अट्ठासी लाख सत्हत्तर हजार पॉच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

7. परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-141/2025/I/1107087/2025/71-1001(099)/3/2021, दिनांक 08.10.2025 उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

**4-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,88,77,500 ( रुपये छह करोड़ अट्ठासी लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031053800 मेडिकल कालेज आगरा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**मनोज कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव।

**संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्टसिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
**आनन्द कुमार त्रिपाठी**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov...